न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश, केम्प भोपाल

III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/2185 निगरानी प्रकरण कमांक 19

1–गंभीरसिंह आत्मज भुजराम जाट
2–भुजराम आत्मज खेराजजी जाट
निवासी एवम कृषक ग्राम बगवाड़ा
तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.....आवेदकगण/निगरानीकर्ता

::बनाम::

1–श्रीमति रामदुलारीबाई पत्नि गोविन्दसिंह,
जाति कलोता
2–राकेश आत्मज भुजराम जाट
निवासी ग्राम बगवाड़ा तहसील
नसरूल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश
3–मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण/विपक्षी,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, विरूद्ध आदेश दिनांक 08/06/2017 पारित व्दारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 355/अपील/2013–14 श्रीमति रामदुलारी विरूद्ध गंभीरसिंह एवम अन्य ।

महोदय जी,

आवेदकगण/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि गंभीरसिंह के पिता भुजराम के नाम ग्राम बगवाड़ा की कृषि भूमि सर्वे नं. 125,126,127 किता–3 रकबा 6–641 हेक्टयर भूमि का बटवारा 15/5/2007 को संशोधन पंजी कमांक 5 पर नियमविरूद्ध तरीके से कर दिया गया था, जिसकी अपील कमांक 15/2009–10 गंभीर सिंह ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज के समक्ष की थी, जिसमे **दिनांक 11 अप्रैल 2014 को यह आदेश पारित किया कि –अधिनस्थ न्यायालय व्दारा नामांतरण पंजी कमांक 5 पर पारित आलौच्य आदेश दिनांक 15/5/2007 पारित करने के पूर्व कोई प्रकरण दर्ज नही किया था । विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है । यह न्यायालय, दिनांक 15/5/07 को तहसीलदार नसरूल्लागंज व्दारा पारित आलौच्य आदेश को शून्यवत करते हुए यह आदेशित करती है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे राजस्व अभिलेखो मे उक्त आदेश के पालन मे किये गये संशोधन निरस्त किये जाकर दिनांक 15/5/07 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे ।**

2– यह कि विपक्षी कमांक 1 ने उक्त संशोधन पंजी पर किये गये अबैधानिक बटवारा के आधार पर विपक्षी कमांक 2 से सांठ गांठ करके भूमि सर्वे नं. 126/3,127/3 किता–2 रकबा 1–664 हेक्टयर बिना प्रतिफल के अबेध एवम शून्य रजिस्ट्री के आधार पर, राजस्व प्रकरण कमांक

निरन्तर.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 2184

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषक के हस्ताक्षर
01—9—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण कमांक 355 / अपील / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 08—6—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदिका रामदुलारी के विकय पत्र को पूर्ण मान्यता प्रदान की है एवं अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ने विकय पत्र के बावजूदी भी अनावेदिका का नाम विलोपित करने के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किया है और तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित माना है। आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	